भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3057
दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बल्क ड्रग पार्क्स

3057. श्री मनोज तिवारीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क ड्रग पार्क्स को बढ़ावा देने की योजना से विगत दो वर्षों के दौरान देश में भारी मात्रा में औषधियों के आयात में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) देश में नए बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): "बल्क औषधि पार्कों का संवर्धन" की योजना को पार्कों में स्थित संभावित बल्क औषधि इकाइयों को विश्व स्तरीय साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं (सीआईएफ) तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए 20 मार्च, 2020 को अनुमोदित किया गया था। वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक की अवधि के लिए इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3000 करोड़ रुपये है। इस योजना को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

गुजरात में दिनांक 08.10.2022 को, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 11.10.2022 को और आंध्र प्रदेश में दिनांक 07.11.2022 को प्रारंभिक रूप से (काकीनाडा) में तथा दिनांक 07.12.2023 को नए स्थान (नक्कापल्ली) में बल्क औषधि पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। बल्क औषधि पार्कों में सीआईएफ के विनिर्माण के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में से प्रत्येक को 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में तीनों राज्यों को पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है।

तीनों अनुमोदित पार्कों में सीआईएफ का कार्य प्रक्रियाधीन है।

तीनों राज्यों में बल्क औषधि पार्कों की स्थापना के लिए आबंटित, वितरित और उपयोग की गई निधियां निम्नानुसार है:

अनुमोदित राज्य	केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त जारी करने की तिथि	जारी केन्द्रीय अनुदान (करोड़ रु.)	राज्य निधि (करोड़ रु.)	दिनांक 30 जून 2024 तक उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रु.)
गुजरात	14/10/2022	300	137.10	129.17
हिमाचल प्रदेश	20/02/2023	225	35.54	21.37
आंध्र प्रदेश	13/03/2023	225	132.30	-

योजना संचालन समिति (एसएससी) ने दिनांक 09.07.2024 को आयोजित अपनी बैठक में राज्यों में बल्क औषधि पार्कों को पूरा और कार्यान्वित करने के लिए योजना की अवधि को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी।

चूंकि सभी तीनों राज्यों में बल्क औषधि परियोजनाएं वित्त वर्ष 2025-26 में पूरी होने की संभावना है, इसलिए देश के बल्क औषधि के आयात पर किसी भी प्रभाव का विश्लेषण इन बल्क औषधि पार्कों के शुरू होने के बाद ही किया जा सकता है।

****